भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 899

मंगलवार, 05 मार्च, 2013

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों को भरा जाना

899. श्री अम्बेथ राजन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 397 पद और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 461 पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन पदों को नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इन पदों को भरने के लिए हाल में क्या कदम उठाए हैं ?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क) आज की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित केवल 285 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 423 पद रिक्त पड़े हैं ।

(ख) आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उद्यम रूग्ण/हानि उठाने वाले हैं तथा उन्हें बीआईएफआर को सौंप दिया गया है । केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में कोई भर्ती नहीं की जा रही है । केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उद्यमों में बार-बार विज्ञापन देने/प्रयास करने के बावजूद भी उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिलने के कारण आरक्षित श्रेणी के पद रिक्त हैं ।

(ग) सामान्य भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार इन रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था।

*****